



अनवान: भगवानाराम बनाम पदमाराम  
प्रकरण संख्या:- 01/2023  
निर्णय दिनांक 23.09.2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर  
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 01/2023

जीसीएमएस वाद संख्या 2023/4

—:अनवान:—

1. भगवानाराम पुत्र रामजी ।
2. रतनाराम पुत्र रामजी ।
3. सवाराम पुत्र श्री रामजी जातियान माली, निवासीगण—मालियो का गोलिया, तहसील—सांचौर, जिला—जालोर ।

वादीगण.....

1. पदमाराम पुत्र श्री चेलाराम ।
2. पुराराम पुत्र श्री चेलाराम ।
3. बधाराम पुत्र हरिराम ।
4. बाबुलाल पुत्र हरिराम ।
5. भलाराम पुत्र गणेशराम ।
6. मगाराम पुत्र हरजीराम ।
7. मालाराम पुत्र हरिराम ।
8. राणाराम पुत्र चेलाराम ।
9. शंकराराम पुत्र हरिराम ।
10. शांतिदेवी पत्नी भेराराम ।
11. काजाराम पुत्र देराम उर्फ दयाराम ।
12. सुआदेवी पत्नी वगताराम जातियान माली, निवासीगण—मालियो का गोलिया, तहसील—सांचौर ।
13. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक, शाखा—सांचौर ।
14. शाखा प्रबंधक—बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा—सांचौर ।
15. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर ।

प्रतिवादीगण.....

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188

राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी ।
2. प्रतिवादी संख्या 1,2,8 की ओर से श्री विजय रत्नेश, प्रतिवादी सं.3,4,5,7,9 की ओर से श्री जालाराम पूनिया, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री मदनलाल जाट, प्रतिवादी संख्या 10,11 की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ राम, प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई, प्रतिवादी संख्या 13,14,15 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय ।



  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

—:निर्णय:—

दिनांक:- 23.09.2025

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 03.06.2025 को मौजा मालियों का गोलिया पटवार हल्का चौरा तहसील-सांचौर के वर्तमान खसरा नम्बर 729 रकबा 3.63 हैक्टेयर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाड़ा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक/कोर्ट/2025/264 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/भू.अ./2025/3460 दिनांक 12.08.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुना गया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति प्रस्तावित बंटवाड़ा का निस्तारण करते हुये तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाड़ा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	भगवानाराम पुत्र रामजी। रतनाराम पुत्र रामजी। सवाराम पुत्र रामजी जातियान माली साकिनान देह खातेदार	729	3.63	1.765	चाही प्रथम जाव प्रथम	हरा	—
2.	भलाराम पुत्र गणेशा जाति माली साकिन देह खातेदार	729	3.63	0.05	चाही प्रथम	बैंगनी	—
3.	पदमाराम पुत्र चेला। पुराराम पुत्र चेला। बधाराम पुत्र हरिराम। बाबुलाल पुत्र हरिराम। मगाराम पुत्र हरजी। मालाराम पुत्र हरिराम। राणाराम पुत्र चेला। शंकराराम पुत्र हरिराम जातियान माली साकिनान देह खातेदार।	729	3.63	1.815	चाही प्रथम जाव प्रथम	गुलाबी	—


उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हक में



सहायक (उपस्थित) सांचौर

प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

  
(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)



## डिक्री व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

1. भगवानाराम पुत्र रामजी ।
2. रतनाराम पुत्र रामजी ।
3. सवाराम पुत्र श्री रामजी जातियान माली, निवासीगण-मालियो का गोलिया, तहसील-सांचौर, जिला-जालोर ।

वादीगण.....

1. पदमाराम पुत्र श्री चेलाराम ।
2. पुराराम पुत्र श्री चेलाराम ।
3. बधाराम पुत्र हरिराम ।
4. बाबुलाल पुत्र हरिराम ।
5. भलाराम पुत्र गणेशराम ।
6. मगाराम पुत्र हरजीराम ।
7. मालाराम पुत्र हरिराम ।
8. राणाराम पुत्र चेलाराम ।
9. शंकराराम पुत्र हरिराम ।
10. शांतिदेवी पत्नी भेराराम ।
11. काजाराम पुत्र देराम उर्फ दयाराम ।
12. सुआदेवी पत्नी वगताराम जातियान माली, निवासीगण-मालियो का गोलिया, तहसील-सांचौर ।
13. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई बैंक, शाखा-सांचौर ।
14. शाखा प्रबंधक-बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-सांचौर ।
15. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर ।

प्रतिवादीगण.....

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 01/2023

1. यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरसीराम चौधरी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8 की ओर से श्री विजय रत्नेश, प्रतिवादी सं. 3, 4, 5, 7, 9 की ओर से श्री जालाराम पूनिया, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से श्री मदनलाल जाट, प्रतिवादी संख्या 10, 11 की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ राम, प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई, प्रतिवादी संख्या 13, 14, 15 बाद तामिल उपरिथत नहीं होने से एकपक्षीय। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।



सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्टो में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टो में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	भगवानाराम पुत्र रामजी। रतनाराम पुत्र रामजी। सवाराम पुत्र रामजी जातियान माली साकिनान देह खातेदार	729	3.63	1.765	चाही प्रथम जाव प्रथम	हरा	-
2.	भलाराम पुत्र गणेशा जाति माली साकिन देह खातेदार	729	3.63	0.05	चाही प्रथम	बैंगनी	-
3.	पदमाराम पुत्र चेला। पुराराम पुत्र चेला। बधाराम पुत्र हरिराम। बाबुलाल पुत्र हरिराम। मगाराम पुत्र हरजी। मालाराम पुत्र हरिराम। राणाराम पुत्र चेला। शंकराराम पुत्र हरिराम जातियान माली साकिनान देह खातेदार।	729	3.63	1.815	चाही प्रथम जाव प्रथम	गुलाबी	-

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काशत में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 23.09.2025 को जारी की गई

(प्रमोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	4	00	स्टाम्प वकालतनामा	8	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीशनर	0	00	फीस कमीशनर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	6	00	मौजाना	10	00



(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)